

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-7/वि०शा०/मु०याँ०-02-24/2019-62/19-20 प्र० स्वी०

/राँची, दिनांक:-30.10.19

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत चिन्दा जलाशय योजना एवं तपकरा जलाशय योजना के यांत्रिक कार्य हेतु रु० 391.704 लाख (तीन करोड़ इक्कानवे लाख सत्तर हजार चार सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत चिन्दा जलाशय योजना एवं तपकरा जलाशय योजना के यांत्रिक कार्य हेतु रु० 391.704 लाख मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

(A) चिन्दा जलाशय योजना के अन्तर्गत केनाल नेटवर्क पर कराये जाने वाले कार्य (रु० 153.170 लाख) :-

(i) चिन्दा जलाशय योजना के केनाल नेटवर्क में दांयी मुख्य नहर में 29 अदद एवं बांयी मुख्य नहर में 20 अदद H/R Gate यानी कुल 49 अदद नया H/R Gates का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य तथा योजना के Head works में लगे 11 अदद Spillway गेटों के लिए Shed का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(ii) उक्त गेटों का Embedded Parts, Hoisting arrangement Bottom Seal, Side Seal, Hoist Bridge का कार्य।

उक्त प्रस्तावित सभी कार्य का अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत है :-

Sl.No	Components	Amount (in Rs.)
1.	Cleaning of gate groove of H/R gate with removal of sand, boulder, soil and other obstacle materials.	250356.68
2.	Fabrication and erection of H/R gate, with Embedded part and Hoisting Arrangement etc.	10969928.90
3.	Dismantling of P.C.C. for fixing bottom seal and embedded parts etc.	61657.68
4.	Providing of P.C.C. with 200 nominal mix(1:1.5:3) for fixing bottom seal Hoisting platform and embedded parts etc.	223004.88
5.	Providing shuttering, including strutting propping.	39925.20
6.	Fabrication and Erection of Shed for spillway gate.	1509309.00
7.	Fabrication and Erection of Shed for spillway gate.	353520.00
	Total	13407702.34
	GST@12% of item no 01 to 07	1608924.28
	Total	15016626.62
	Labour Cess@1%	150166.26
	Contingency @1%	150166.26
	Grand Total :-	15316959.14
	Say	1,53,17,000.00

(B) तपकरा जलाशय योजना के अन्तर्गत केनाल नेटवर्क पर कराये जाने वाले कार्य (रु० 238.534 लाख) :-

तपकरा जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर में कुल 84 अदद नया H/R gates का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य तथा उक्त गेटों का Embedded Parts, Hoisting arrangement एवं Operation platform, Railing का निर्माण कार्य।

उक्त प्रस्तावित सभी कार्य का अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.No	Components	Amount (in Rs.)
1.	Cleaning of gate groove of H/R gate with removal of sand, boulder, soil and other obstacle materials.	429182.88
2.	Fabrication and erection of H/R gate, with Embedded part and Hoisting Arrangement etc.	18709202.40
3.	Dismantling of P.C.C. for fixing bottom seal and embedded parts etc.	105698.88
4.	Providing of P.C.C. with 200 nominal mix (1:1.5:3) for fixing bottom seal Hoisting platform and embedded parts etc.	382294.08
5.	Providing shuttering, including strutting propping.	68443.20
6.	Fabrication and Erection of Hoist Bridge for HR Gate.	1088861.90
7.	Supply, Fitting and Fixing of rubber seal.	96390.00
	Total	20880073.34
	GST@12% of item no 01 to 07	2505608.80
	Total	23385682.14
	Labour Cess@1%	233856.82
	Contingency @1%	233856.82
	Grand Total	23853395.78
	Say	23853400.00

- इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- इस कार्य का समावेश वर्ष 2019-20, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
- झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
- किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
- इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
14. कार्य कराने वाली Agency द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले पाँच (05) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जाएगा।
15. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

/राँची, दिनांक:- 30.10.19

पत्रांक:-7/विंशा०/मु०याँ०-02-24/2019-62/19-20 प्र० स्वी०

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

/राँची, दिनांक:- 30.10.19

पत्रांक:-7/विंशा०/मु०याँ०-02-24/2019-62/19-20 प्र० स्वी०

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7/विंशा०/मु०याँ०-02-24/2019-62/19-20 प्र० स्वी०

/राँची, दिनांक:- 30.10.19

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7/वि०शा०/मु०याँ०-02-24/2019-62/19-20 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-30.10.19
प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

 30.10.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7/वि०शा०/मु०याँ०-02-24/2019-62/19-20 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-30.10.19
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

 30.10.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

7/2